कार्यालय जिला परिषद, गुमला

दुकानों की बन्दोवस्ती हेतु अति अल्पकालीन प्रेस विज्ञप्ति

एतद द्वारा गुमला जिले के सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, गुमला की दिनांक 28–09–2016 को आयोजित सामान्य बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन ज्ञापांक 641 दिनांक 24–10–2016 की कंडिका–15 में किराया निर्धारण संबंधी प्रस्ताव तथा दिनांक 20–06–2018 को आयोजित सामान्य बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन ज्ञापांक 400 दिनांक 17–07–2018 की कंडिका–अन्यान्य–2 में आरक्षण समाप्त करने संबंधी पारित प्रस्ताव के आलोक में बसिया प्रखण्ड अन्तर्गत कोनबीर में जिला परिषद, गुमला द्वारा निर्मित मार्केट कॉम्पलेक्स की दुकानों को निम्नप्रकार मासिक किराये पर बन्दोवस्ती की जानी है :–

बसिया प्रखण्ड अन्तर्गत कोनबीर मार्केट कॉम्पलेक्स की 16 दुकानों का आवंटन हेतु किराया तालिका

क्र0	दुकानों का नम्बर	किराया प्रतिमाह	जमानत राशि	अभ्युक्ति
1	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	1800/–	40,000/–	16 दुकान

2. दुकानों की बन्दोवस्ती हेतु आवेदन प्रपत्र कार्यालय जिला परिषद, गुमला से दिनांक 01–10–2018 से 500/– कुल पाँच सौ रूपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट (जो सचिव, जिला परिषद, गुमला के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं गुमला में भुगतेय हो) जमा कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

3. शेष सभी शर्त्ते गुमला जिले के वेबसाईट **gumla.nic.in** पर तथा कार्यालय जिला परिषद, गुमला के सूचना–पट् पर देखा जा सकता है।

ED/–

उप विकास आयुक्त–सह–सचिव,
जिला परिषद, गुमला।

ज्ञापांक /जि0प0गुमला दिनांक वीं सितम्बर 2018

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गुमला को स्थानीय अखबारों (प्रभात खबर/दैनिक भास्कर/हिन्दुस्तान) में प्रकाशित कराने हेतु अग्रसारित।

ED/–

उप विकास आयुक्त–सह–सचिव,
जिला परिषद, गुमला।

ज्ञापांक 524/जि0प0गुमला दिनांक 27 वीं सितम्बर 2018

प्रतिलिपि :– प्रतिलिपि :– वेब मैनेजर–सह–अपर समाहर्त्ता, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त सूचना संलग्न शर्त्त सहित, का प्रकाशन गुमला जिले के वेबसाईट पर करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना संलग्न शर्त्त सहित का प्रकाशन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर करना सुनिश्चित किया जाय।

27/9/18

उप विकास आयुक्त–सह–सचिव,
जिला परिषद, गुमला।

27/09

E:\WORD 2011\Shop Press Notice.docx

कार्यालय जिला परिषद, गुमला

बसिया प्रखण्ड अन्तर्गत कोनबीर में जिला परिषद, गुमला द्वारा निर्मित मार्केट कॉम्पलेक्स की दुकानों का मासिक किराये पर बन्दोवस्ती हेतु निर्धारित शर्तें :–

1. दुकानों की बन्दोवस्ती केवल स्थानीय अथवा मूल निवासी को ही किया जायगा।
2. दुकानों की बन्दोवस्ती हेतु आवेदन प्रपत्र कार्यालय जिला परिषद, गुमला से दिनांक 01–10–2018 से 500/– कुल पाँच सौ रूपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट (जो सचिव, जिला परिषद, गुमला के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं गुमला में भुगतेय हो) जमा कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
3. एक आवेदक के नाम से सिर्फ एक दुकान की ही बन्दोवस्ती की जा सकेगी।
4. सभी आवेदकों को आवेदन प्रपत्र के साथ आधार प्रमाण पत्र एवं स्थानीय अथवा मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा एक शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न करना होगा कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
5. आवेदन पत्र को भरकर विभिन्न वांछित प्रमाण पत्रों एवं सुरक्षित जमा राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (जो सचिव, जिला परिषद, गुमला के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं गुमला में भुगतेय हो) संलग्न करते हुए कार्यालय जिला परिषद, गुमला में कार्यालय अवधि में जमा किया जा सकता है।
6. आवेदन प्रपत्र में दुकान का नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकानों के लिए अंकित नम्बर के अनुसार ही आवेदन प्रपत्र स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक के द्वारा आवेदन प्रपत्र में अंकित दुकान नम्बर के अनुसार ही दुकान आवंटन पर विचार किया जायगा तथा अंकित दुकान नम्बर के अलावे अन्य नम्बर की दुकान आवंटन पर विचार नहीं किया जायगा।
7. दुकान आवंटन की सूची प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर आवेदक को एकरारनामा करना होगा तथा निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं करने पर दुकान आवंटन आदेश को रद्द कर दिया जायगा।
8. प्रत्येक दुकान के लिए प्राप्त आवेदन प्रपत्र अगर अधिक होती है, तो दुकान का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जायगा जिसकी तिथि का निर्धारण एवं प्रकाशन बाद में किया जायगा।
9. एकरारनामा की तिथि से निर्धारित किराया शुल्क लागू हो जायगा।
10. दुकान का निर्धारित किराया प्रत्येक माह के 25 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा। लगातार तीन माह तक किराया जमा नहीं होने की स्थिति में दुकान का आवंटन रद्द कर दिया जायगा।
11. दुकान में किसीप्रकार की गैर कानूनी सामग्री की बिक्री नहीं की जायगी अन्यथा दुकान का आवंटन रद्द करते हुए प्रतीक्षा सूची में दर्ज दुसरे आवेदक को दुकान आवंटित कर दिया जायगा। दुकान के स्वरूप को आवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकेगा।
12. दुकान में विद्युत आपूर्त्ति की ब्यवस्था आवेदक को स्वयं करनी होगी तथा विद्युत विपत्र का भी भुगतान आवेदक को स्वयं ही करना होगा।
13. जिन आवेदक को दुकान आवंटित होगा उन्हें स्वयं ही ब्यवसाय करनी होगी। अगर पाया जाता है कि आवेदक अपने दुकान को किसी भी अन्य ब्यक्ति को किराये पर दिया है तो ऐसी परिस्थिति में दुकान का आवंटन रद्द कर दिया जायगा।
14. प्रत्येक तीन वर्ष में दुकान किराये में 15 % राशि की वृद्धि की जायगी, जिसे आवेदक को स्वीकार करना होगा।
15. समय–समय पर नियम एवं शर्त्त में बदलाव करने का अधिकार जिला परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।
16. किसी भी प्रकार का वाद–विवाद में जिला परिषद द्वारा लिये गये निर्णय ही अंतिम व सर्वोपरी माने जायेंगे।
17. दुकान आवंटित करने अथवा आवंटित दुकान के एकरारनामा को विशेष परिस्थिति में रद्द करने का अधिकार जिला परिषद, गुमला के पास सुरक्षित रहेगा।

27/09/18

उप विकास आयुक्त–सह–सचिव,
जिला परिषद, गुमला।
27/09

E:\WORD 2011\Shop Press Notice.docx